संख्या- 403 /2024 / 3637 /चार-2024-1760669

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 12 दिसम्बर, 2024

विषय:- जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा के अन्तर्गत रामलीला मैदान की बाउण्ड्रीवाल, गेट आदि के निर्माण कार्य हेतु रू0 50.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-3395/सं0नि0-6(37)/2023-24 दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा के अन्तर्गत रामलीला मैदान की बाउण्ड्रीवाल, गेट आदि के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-15/2024/ 7521/चार-2023, दिनांक 04 जनवरी, 2024 द्वारा रू0 202.62 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 55.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 2,00,89,562.00 निर्धारित है।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा के अन्तर्गत रामलीला मैदान की बाउण्ड्रीवाल, गेट आदि के निर्माण कार्य हेतु रू0 2,00,89,562.00 (रू0 दो करोड़ नवासी हजार पांच सौ बासठ मात्र) की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या-15/2024/ 7521/चार-2023, दिनांक 04 जनवरी, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(4) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

3. इस संबंध में होने वाले व्यय रुपये 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048004100 सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 403 /2024 / 3637 (1) /चार-2024-1760669 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, मैनपुरी।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबंधक (नोडल संस्कृति विभाग), यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. परियोजना प्रबंधक, यूनिट-4, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, आगरा।
9. वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।